

२९/१०/२५ अधिवक्ता अपीलान्तर अनु! अपीलान्तर एवं
उनके अधिवक्ता को न्यायालय की ओर
से बार-बार आवामें लगाने के बावजूद
उप. नहीं आये। अतः पत्रावली अदम
अदम पैरवी में खारिज की जाती
है। पत्रावली फेसल शुमार होउर नम्बर
से कम होउर दाखिल दफ्तर है।

